



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2007/चैत्र 12, 1929

No. 167]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2007/CHAITRA 12, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2007

सं. 269(अ)।—जवाहरलाल नेहरू पत्तन (बंदरगाह यान) नियम का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है और सूचना दी जाती है कि प्रारूप नियम पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. कोई आक्षेप या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि, से पूर्व प्राप्त होगा, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना :

- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन (बंदरगाह यान) नियम, 2007 है।
 (ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 (ग) ये नियम जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर लागू होंगे।

2. व्यावृत्ति: इन नियमों में अंतर्विष्ट कोई भी बात, जवाहरलाल नेहरू पत्तन में अन्तर्देशीय नौचालन को किसी भी प्रणाली से आने वाली अलपन पर लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएं: इन नियमों में जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अध्यक्ष" से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) के अधीन उनकी जगह कार्य करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
 (ख) "साफ मौसम" से 1 सितम्बर, से 25 मई तक की अवधि अभिप्रेत है;

- 422
- (ग) "खरात मौसम" से 26 मई से 31 अगस्त तक की अवधि अभिप्रेत है;
- (घ) "बंदरगाह यान" से किराए पर चलाया जाने वाला कोई कैटेमैन या कोई फटेला या स्वीरा कोई यात्री या अन्य यान अभिप्रेत है चाहे उसे किराए पर चलाया जा रहा हो या नहीं और चाहे वह स्वचालित हो या नहीं, और चाहे उसे नियमित रूप से या केवल अवसर मढ़ने पर ही चलाया जा रहा हो और चाहे वह पत्तन में भागतः या पत्तन के बाहर चलाया जा रहा हो;
- (ङ) "अनुज्ञापन अधिकारी" से जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का उप संरक्षक अभिप्रेत है;
- (च) "पत्तन" से जवाहरलाल नेहरू पत्तन अभिप्रेत है जिसकी सीमाएँ भारत सरकार के पोत और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 429 तारीख 28 मई, 1982 द्वारा अधिसूचित की गई है।
- (छ) "सारंग" या "सुखानि" या "टिंडल" ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पत्तन यान के प्रचारी हैं तथा जिसके पास महाराष्ट्र मेट्रोटाईम बोर्ड द्वारा जारी विधिवान्य सक्षमता प्रमाणपत्र है।

4. अनुज्ञप्ति के बिना बंदरगाह यान नहीं चलाया जाएगा :

- (1) (क) कोई व्यक्ति, चाहे वह बंदरगाह यान का स्वामी हो या सेवक के रूप में हो जब तक उसके पास अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट "क" (जिसे इसके पश्चात् प्ररूप कहा गया है) में विनिर्दिष्ट प्ररूप में जारी की गई अनुज्ञप्ति न हो और जब तक इस तरह से उपयोग किया जा रहा पत्तन यान इन नियमों के तहत अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, तब तक वह पत्तन में किसी जलयान से एक/अथवा पत्तन की सीमा में किसी स्थान से दूसरे स्थान तक माल या यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किसी पत्तन यान का उपयोग नहीं करेगा।
- (ख) बंदरगाह यान के स्वामी द्वारा यान को रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा नियत स्थान पर लाया जाएगा।
- (ग) रजिस्ट्रीकृत किए जाने या अनुज्ञप्ति दिए जाने वाले किसी नए बंदरगाह यान का स्वामी यान को रजिस्ट्रीकृत करने या अनुज्ञप्ति दिए जाने से पहले सीमा रक्षक प्राधिकारी से अनुरोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।
- (2) इन नियमों की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:
- (i) पोत अथवा स्टीमर के उपस्कर के भाग के रूप में उपयोग किये जाने वाली नौकाएँ, अथवा
- (ii) केवल आनंद के लिए उपयोग किए जाने वाले बंदरगाह यान, और
- (iii) सरकार या पत्तन की सेवा में लगे यान।

5. बंदरगाह यान का सर्वेक्षण और मापन तथा अनुज्ञप्ति जारी करना :

- (1) बंदरगाह यान के स्वामी/स्वामियों के आवेदन करने पर और उसके/उनके द्वारा बंदरगाह यान को इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निश्चित स्थान पर लाए जाने पर यान के स्वामी/स्वामियों या इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में अनुज्ञापन अधिकारी उस पत्तन यान का सर्वेक्षण और मापन करेगा अथवा करवाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से यान पर ले जाए जाने वाले स्वीस की मात्रा और यात्रियों की संख्या के लिए सही टनभार के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।
- (2) बंदरगाह यान के स्वामियों को उनके यान पर बिह्व और संख्या दिखाने के लिए पहले से प्रवृत्त नियमों के अनुपालन के अलावा अनुज्ञापन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक यान का दुबाव इस प्रकार से दिखाना होगा जिससे उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके।
- (3) (i) अनुज्ञापन अधिकारी प्रत्येक बंदरगाह यान की भार रेखा समतुलित करेगा और यान के दोनों ओर उसे चिह्नित करेगा जिससे उसकी वहन क्षमता का अवधारण किया जाएगा।
- (ii) भार रेखा संबंधी अपेक्षाएँ प्रपत्र में तथा अतिरिक्त होंगी और
- (iii) इस बात से संतुष्ट होने पर कि, सेवा और निर्माण की विशेष प्रकृति और दशाओं के कारण ऐसी भार रेखाओं का लगाया जाना अनुचित और अव्यवहारिक है तो अनुज्ञापन अधिकारी प्रपत्र में लदाई के लिए बताए गए उपबंधों से उसके द्वारा ठीक समझी गई रातों पर अधिक लदाई को अनुज्ञा दे सकता है या उनसे छूट दे सकता है।
- (4) सभी बंदरगाह यानों का मापन, सरकार द्वारा समय-समय पर यान के मापन से संबंधित बनाए गए संगत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

- (5) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रत्येक बंदरगाह यान में बहन को जाने वाले यात्रियों की संख्या उस यान के उनभार के आधार पर नहीं बल्कि उसके बैठने की वास्तविक क्षमता के आधार पर अवधारित की जाएगी।
- (6) बंदरगाह यान के यात्रा योग्य तथा आश्रयित के लिए फिट होने के बारे में संतुष्ट होने पर और उस यान के स्वामी/स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज देने पर जिसमें उसका/उनका नाम, व्यवसाय का नाम या क्रमशः उनके व्यवसाय और स्थान या क्रमशः निवास का स्थान लिखा हो और अनुज्ञापन अधिकारी या उसके द्वारा सम्यक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में इस आवास के घोषणा पत्र पर कि उसने/उन्होंने इन नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है, अधिकारी बंदरगाह यान के स्वामी/स्वामियों को स्वयं तब या घड़ी या दोनों को यान के प्रयोग के लिए यान का उपयोग करने के लिए अनुज्ञापित करेगा।
- (7) प्रत्येक बंदरगाह यानों के स्वामी या मास्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) अथवा सागिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन जारी सर्वेक्षण प्रमाणपत्र नहीं होगा उन्हें पूर्वोक्त रूप से अनुज्ञापित देने से पहले अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी, जिसके पास सागिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अधीन मास्टर अथवा प्रथम श्रेणी अभिर्यता का विदेश जाने का स्क्षमता प्रमाणपत्र हो, के द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा।
- (8) उप नियम 7 में निर्दिष्ट सर्वेक्षण पूरा होने पर, निरीक्षण अधिकारी निम्नलिखित विशिष्टताओं का विशेष विवरण देते हुए सर्वेक्षण की घोषणा करेगा:—
- (क) बंदरगाह यान का ढाँचा और उसकी मशीनरी अच्छी दशा में है तथा आशयित सेवा के लिए पर्याप्त है,
- (ख) कि उपस्कार ऐसी दशा में होंगे और सारंग या चालक के प्रमाणपत्र इन नियमों अथवा बंदरगाह यान पर लागू होने वाले सत्समय प्रवृत्त इन नियमों या किसी अन्य नियमों के अधीन यथा अपेक्षित हैं,
- (ग) निरीक्षण अधिकारी की राय में यह समय (एक वर्ष से अधिक) जिसके दौरान रॉय, मशीनरी तथा उपस्कार बंदरगाह यान को चलाने के लिए उचित और सधेष्ट स्थिति में होंगे,
- (घ) निरीक्षण अधिकारी की राय में बंदरगाह यान द्वारा बहन किए जा सकने वाले यात्रियों की संख्या जो वर्ष के दौरान मौसम, सेवा के प्रकार, से जाए जाने वाले न्योय और अन्य आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएगी, और
- (ङ) कोई अन्य संलग्न विशिष्टता।
- (9) सर्वेक्षण की घोषणा प्राप्त होने पर, अनुज्ञापन अधिकारी का यदि समाधान हो जाता है कि इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया गया है तो वे निरीक्षण अधिकारी द्वारा सिफारिश की गई अवधि के लिए बंदरगाह यान को चलाने की अनुज्ञापित जारी कर सकते हैं।

6. सारंग सुखानी या टिंडाल का रजिस्ट्रीकरण :

नियम 5 के अधीन किसी बंदरगाह यान का अनुज्ञापित जारी करते समय सधस्थिति यान के सारंग या सुखानी या टिंडाल, को अनुज्ञापित में दिए गए नाम और अन्य संबंधित जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज करेगा जिसे अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा परिशिष्ट "ख" में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए रखा जाएगा।

7. बंदरगाह यान और उसके कर्मिंदल का वार्षिक तथा विशेष निरीक्षण :

- (1) अनुज्ञापित समाप्त होने की तारीख के तीस दिन पहले प्रत्येक बंदरगाह यान के मालिक को यान के निरीक्षण तथा अनुज्ञापित के नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंदरगाह यान के प्रत्येक स्वामी को अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ऐसे स्थान तथा ऐसी तारीख को यान को निरीक्षण के लिए पुतनी अनुज्ञापित के साथ प्रस्तुत ऐसे करेगा जो वह इस प्रयोजन के लिए नियत कर सकेगा। इस प्रकार के निरीक्षण के अतिरिक्त अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए समय पर स्वयं उसके द्वारा या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा विशेष या अतिरिक्त निरीक्षण भी किया जा सकेगा।
- (3) इस नियम के अधीन सभी निरीक्षणों के समय बंदरगाह यान पर सभी पूरक कर्मिंदल तथा उपस्कार होंगे और ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास इन नियमों अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र न हो या जो अनुज्ञापन अधिकारी की राय में चलाने यान के उपयोग से अनउपयुक्त है या अक्षम है को सधस्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- (4) इन नियमों के अधीन अनुज्ञापित प्राप्त सभी बंदरगाह यानों के स्वामियों को अनुज्ञापित के नवीकरण के समय सीमानुत्क प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्राप्त करना होगा।

8. निरीक्षण के पश्चात् बंदरगाह यान की मरम्मत के आदेश :

- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत बंदरगाह यान का स्वामी यान को सुरक्षित तथा दृढ़ बनाने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी के निर्देशानुसार यान की मरम्मत करवाएगा और उस यान का उपयोग तब तक नहीं करेगा अथवा करने देगा जब तक उसकी मरम्मत उचित रूप से पूरी नहीं हो जाएगी तथा अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसका उपयोग करने की अनुमति न दे दी जाएगी।
- (2) ऐसी मरम्मत के प्रयोजन के लिए बंदरगाह यान का स्वामी यान का जोबल ऐसे स्थान या स्थानों पर खिंचाया जाएगा जो अनुज्ञापन अधिकारी समय-समय पर निर्देश करे।

9. मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति को प्रस्तुत करना :

- (1) अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक बंदरगाह यान का स्वामी अनुज्ञप्ति को यान यथास्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, के साथ रखेगा जो अनुज्ञापन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करेगा।
- (2) बंदरगाह यान के स्वामी द्वारा इन नियमों तथा इनके अनुपालन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा दिए गए लिखित अनुदेशों की मुद्रित प्रति भी यथास्थित, सारंग अथवा सुखानी अथवा टिंडाल होगी जो बंदरगाह यान के परीक्षी अथवा यात्री को मांग किए जाने पर उसे दिखानी होगी।
- (3) स्वामी को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व यथास्थिति होगा कि सारंग या सुखानी या टिंडाल, उक्त नियमों और अनुदेशों को अच्छी तरह से समझ ले। स्वामी इस बारे में उनसे मोचणा त्र लेगा और अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्तुत करेगा।

10. बंदरगाह यान का सुभिन्न संख्यांकन :

- (1) प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त बंदरगाह यान का स्वामी अनुज्ञप्ति में यथा उल्लिखित यान की संख्या तथा टनभार को यान के अग्रभाग में दोनों तरफ कम से कम 6 इंच की लम्बाई में अरबी अंकों में तथा अन्य बाजुओं पर सहजदृश्य स्थान पर 1/4 आकार में गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद या पीले रंग में अथवा हलके रंग की पृष्ठभूमि गहरे रंग के बड़े अक्षरों में अंकित करवाएगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे यान पर जो रजिस्ट्रीकृत न हो, पर उपर्युक्त कोई संख्या अथवा कोई चिन्ह अंकित नहीं करेगा जिससे यह विश्वास हो कि उस यान रजिस्ट्रीकृत हो चुका है।

11. अवयस्क अथवा स्त्री स्वामी :

यदि बंदरगाह का स्वामी अवयस्क है जो अनुज्ञप्ति अवयस्क के संरक्षक द्वारा प्राप्त की जाएगी। यदि बंदरगाह यान की स्वामी कोई स्त्री हो, जो देश की परंपरा के अनुसार सार्वजनिक स्थान पर नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी ओर से उसका प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

स्पष्टीकरण :

* इस नियमों के प्रयोजन के लिए, संरक्षक या अधिकारी को बंदरगाह यान का स्वामी समझा जाएगा।

12. बंदरगाह यान के स्वामित्व या नियंत्रण में परिवर्तन :

- (1) कोई भी रजिस्ट्रीकृत बंदरगाह यान :
 - (i) जिसे स्वामित्व में परिवर्तन हुआ हो, उसे नई अनुज्ञप्ति लिए बिना चलाए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अथवा
 - (ii) जिसे उसके स्वामी द्वारा बंधक रखा गया हो अथवा उसका नियंत्रण अन्य को दे दिया हो, तो उसे नई अनुज्ञप्ति लिए बिना अथवा उसकी मूल अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित किए बिना चलाया नहीं जाएगा।
- (2) स्वामित्व या नियंत्रण में हुए ऐसे परिवर्तन इस प्रकार के अन्तरण या संव्यवहार के छह दिनों के अंदर प्रभावी होगा।

13. बंदरगाह यान के कर्मीदल या वहन क्षमता में परिवर्तन की रिपोर्ट देना :

- (1) जब भी किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त बंदरगाह यान के सारंग या सुखानी या टिंडाल में परिवर्तन होता है अथवा यान में कोई अन्य बदलाव किया जाता है जो यान की अनुज्ञप्ति में दी गई विशिष्टताओं से भिन्न हो, तो स्वामी द्वारा इस प्रकार के बदलाव या परिवर्तन की रिपोर्ट तुरंत अनुज्ञापन अधिकारी को करेगा।
- (2) जहां सारंग या सुखानी या टिंडाल में परिवर्तन रिपोर्ट अथवा बंदरगाह यान में ऐसा कोई परिवर्तन की वरदा में जिससे उसकी वहन क्षमता पर प्रभाव न पड़े, बंदरगाह यान को तब तक नहीं चलाया या जाएगा जब तक इसकी सूचना अनुज्ञापन अधिकारी को नहीं दे दी जाती और यथास्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, को अनुज्ञापन अधिकारी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता।

- (3) अनुज्ञापन अधिकारी इस प्रकार की सूचना मिलने पर यान के स्वामी को दी गई मूल अनुज्ञापि में संशोधन करेगा तथा यथास्थित सारंग या सुखानी या टिंडाल, को बदले जाने की स्थिति में नियम 6 के अधीन रखे गए रजिस्टर में संशोधन भी करेगा।
- (4) जब भी टिंडाल या अन्य कर्मिंदल में परिवर्तन किया जाता है तब संबंधित यान का स्वामी नए व्यक्तियों को यान पर कार्य के लिए नियुक्त करने से पहले सीमावृत्त प्राधिकारियों से "अनुज्ञापि" प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (5) बंदरगाह यान की गहन क्षमता पर प्रभाव डालने वाला कोई परिवर्तन किए जाने की दशा में मूल अनुज्ञापि रद्द होगी और अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा यान को दोबारा मापन किए जाने के बाद नई अनुज्ञापि जारी की जाएगी। ऐसी स्थिति में नई अनुज्ञापि मिलने तक बंदरगाह यान नहीं चलाया जाएगा।

परन्तु यदि इस तरह के परिवर्तन किए जाने के समय बंदरगाह यान पलतन के बाहर हो तो यान के पलतन में जाने पर तुरंत परिवर्तन की रिपोर्ट अनुज्ञापन अधिकारी को दी जाएगी।

14. बंदरगाह यान के उचित प्रचालन के लिए उल्लेखनीय यथास्थिति, सारंग या सुखानी या टिंडाल, और पूरे कर्मिंदल के साथ यान को चलाया जाना :

- (1) अनुज्ञापि प्राप्त प्रत्येक यान का स्वामी यान पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तथा अनुज्ञापि में बताए गए विवरण के अनुसार पूरा कर्मिंदल रखेगा और उपस्कार उपलब्ध करवाएगा।
- (2) बंदरगाह यान साफ या खराब मौसम में चल रहा है इसके अनुसार बंदरगाह यान का यथास्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, फलक, जनयान की अनुज्ञापि में साफ या खराब मौसम के लिए निर्धारित कर्मियों से अधिक या कम संख्या में कर्मचारी यान पर नहीं रखेगा। तदनुसार बंदरगाह यान में, यान की अनुज्ञापि में निर्धारित संख्या या मात्रा से अधिक क्रमशः मात्रा या माल नहीं चढ़ाएगा।
- (3) यान पर चढ़ाए गए माल की जिम्मेदारी यान के स्वामी की होगी जो माल की उतराई के समय माल के मालिक को अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता को (जिसने यान किराए पर लिया है) माल की पूरी सुपुर्दी करेगा।
- (4) अनुज्ञापि प्राप्त किसी बंदरगाह यान का स्वामी उस यान पर लादे गए माल के मूल्य के लिए किसी संभावित दावे को भी और जिसे हानियाँ, यदि कोई है नुकसानी हुई है, हो पूरा करेगा, जब तक कि उस यान में लादे गए माल को हुआ नुकसान यान का परिचालन करने वाले यथास्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, के निर्वहन के बाहर और सभी युक्तियुक्त सीमाओं और निर्वहन से परे न हो।

15. बाधा उत्पन्न न हो :

किसी अनुज्ञापि प्राप्त बंदरगाह यान के सारंग या टिंडाल अथवा यान पर कार्य करने वाले कर्मिंदल का कोई सदस्य बिना किसी युक्तिसंगत कारण के यान पर माल चढ़ाने/उतारने या उसकी सेवा में बाधा नहीं डालेगा अथवा पलतन में कार्यरत अन्य यानों के यानों में बाधा नहीं डालेगा या सामान्य रूप से पलतन में जलवानों के आवागमन में बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करेगा।

16. बंदरगाह यान द्वारा अन्य जलयानों तथा नौकाओं को बाधा उत्पन्न न करना :-

सभी बंदरगाह यान निम्नलिखित जलयानों के आवागमन के मार्ग में नहीं आएंगे तथा उनके संचलन में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे :

- (क) पलतन में आने-जाने वाले या पलतन के अंदर संचलन करने वाले जलयान, अथवा
- (ख) बोया या घाटों की ओर जाने वाली नौकाओं के मार्ग में।

17. बिना किसी विधिमान्य कारण के यान चलाने से इन्कार करना :-

- (1) नियमित रूप से किराए पर चलने वाले किसी यान का स्वामी यथास्थिति या सारंग या सुखानी या टिंडाल, यदि बिना किसी युक्तिसंगत कारण के उस यान की आवश्यकता पड़ने पर चलाने से इन्कार करता है तो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा ऐसे यान की अनुज्ञापि को रद्द कर दिया जाएगा।
- (2) यदि यान का उपयोग तस्कारी, अवैध/विधिविरुद्ध कार्यों के लिए करता हुआ पाया जाता है तो उस यान की अनुज्ञापि रद्द कर दी जाएगी।
- (3) अनुज्ञापि को वापस लिया जाना या रद्द करना नियम 26 के अंतर्निहित उपबंधों के अधीन होगा।

18. खराब मौसम में बंदरगाह यान का संचलन :

कोई अनुज्ञापि बंदरगाह यान :-

- (क) जब सिग्नल स्टेशन फ्लैग स्टयक की ओर से खराब मौसम का संकेत दिया जा रहा हो तब अनुज्ञापन अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना किसी भी बंदरगाह यान को चलाया नहीं जाएगा।

(ख) जब बड़े खतरे का संकेत प्रदर्शित किया जाए तब सभी छोटे तथा हल्के यानों को सुरक्षा के लिए तुरंत संरक्षित क्षेत्र में ले जाया जाएगा।

19. बंदरगाह यान पर अनुज्ञेय भार :

- (1) कोई भी व्यक्ति किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त यान पर अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करके व्यक्ति या अन्य माल यान पर नहीं चढ़ाएगा।
- (2) अनुज्ञप्ति प्राप्त बंदरगाह यान में यात्री तथा स्फोरा एक साथ नहीं ले जाए जाएंगे जब यान को यांत्रिक रूप से मोड़न किया जाता है।

20. स्वामी या सारंग या सुखानी या टिंडाल को क्षमता से अधिक लदान पर रोक लगाने की शक्ति :

जब किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त बंदरगाह यान में अनुज्ञप्ति में बताई गई यात्रियों की संख्या या माल की मात्रा से अधिक यात्री सवार हों या माल हो तो मालिक या उसकी अनुपस्थिति में पथास्थिति सारंग या सुखानी या टिंडाल, जलयान से अथवा तट से प्रस्थान से पहले अतिरिक्त यात्री अथवा यात्रियों को जो अनुज्ञप्ति में दी गई क्षमता पूर्ण होने के बाद चढ़े हों, को उतार देगा या संबंधित प्रेषक या परेषिता नौवहन या अवतरण अधिकर्ता को यान की क्षमता से अधिक चढ़ाए गए माल को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से उतारने के लिए कहेंगा।

21. बंदरगाह यान नौबंध स्थान या जलयानों के लंगर डालने से पहले उसमें बाधा नहीं डालना :

किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त बंदरगाह यान का सारंग या सुखानी या टिंडाल या प्रभारी या नौचालन करने वाला व्यक्ति—

(क) उक्त बंदरगाह यान को किसी नौबंध स्थान या घाट पर इस तरह से नहीं बांधेगा जिससे कि उस नौबंध स्थान या घाट का उपयोग किसी समुद्रगामी जलयान के लिए न किया जा सके, या

(ख) लंगरगाह या नौबंध घाट की ओर आगेवाले किसी जलयान के लंगर डालने या घाट पर सुरक्षित घाटयन से पहले बंदरगाह यान को उस जलयान के बगल से नहीं चलाएगा।

22. पत्तन की सीमा के भीतर यात्रियों तथा माल का उतारा जाना और उनका पोत परिवहन :

- (1) सभी यात्रियों और सभी माल को पत्तन की सीमा के भीतर अध्वक्ष द्वारा नियत स्थान पर से ही चढ़ाया या उतारा जाएगा और कोई भी व्यक्ति उक्त सीमा के बाहर यात्रियों या माल को तब तक नहीं चढ़ाएगा या उतारेगा जब तक कि अनुज्ञापन अधिकारी और पत्तन के सीमा शुल्क अधिकारी की पहले से अनुमति न ले ली गई हो।
- (2) यदि अनुज्ञप्तिप्राप्त किसी बंदरगाह यान के स्वामी या सारंग या सुखानी या टिंडाल को उप-नियम 1 का उल्लंघन करके यात्रियों या माल को जहाज से उतारने या चढ़ाने के लिए दण्डाधिकारी द्वारा रोषी उठराया जाता है तो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उस यान की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी।

23. बंदरगाह यान को जलयान के गैंगवे से दूर रखा जाना :

- (1) किसी भी बंदरगाह यान को पत्तन में किसी जलयान के बगल में उसके यात्रियों तथा माल को चढ़ाने या उतारने के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक खड़ा नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसा कोई भी बंदरगाह यान जो जलयान से यात्रियों या माल को चढ़ाने या उतारने के कार्य में नहीं लगा हो, वह उस जलयान से कम से कम 6 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा जिससे कि आने जाने के मार्ग में कोई बाधा न रहे। कोई भी बंदरगाह यान पुलिस या जलयान के जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों के विपरीत किसी जलयान से उतारने के गैंगवे के गजदीक नहीं आएगा।

24. जलयान के आवागमन मार्ग तक बंदरगाह यानों का बारी-बारी आना-जाना :

- (1) किसी जलयान के आगमन पर जलयान के पास जाने या साथ चलने के लिए प्रतीक्षारत सभी बंदरगाह यान जलयान के आवागमन मार्ग से पर्याप्त दूरी बनाए रखेंगे और एक-दूसरे तथा जलयान से समानंतर खड़े किए जाएंगे।
- (2) जलयान के आवागमन मार्ग से आने और जाने के लिए सभी बंदरगाह यान बारी-बारी से आएंगे और पुलिस अधिकारी अथवा उस जलयान के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे।

25. किराए की दरें :

(क) किराए पर चलने की अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी भी बंदरगाह यान का स्वामी या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति माल या यात्रियों के परिवहन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रकार के माल या यात्रियों के वहन के लिए मंजूर दरों से अधिक दर वसूल नहीं करेगा।

3)
से

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(ख) किसी भी यान का स्वामी और सारंग या सुखानी या टिड्डाल या कर्मीदल का कोई सदस्य उस यान के जहाज से किनारे अथवा पतन की सीमा के अंदर या बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान तक फीरे लगाने के दौरान यान में सवार यात्रियों से किसी पारितोषिक की मांग नहीं करेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा।

3)

26. अनुज्ञापि का प्रतिसंहरण :

- (1) यदि किसी व्यक्ति को इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन का बोधी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के त्यागित्त वाली किसी या सभी बंदरगाह यानों की अनुज्ञापि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रद्द की जा सकती है।
- (2) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा बंदरगाह यानों की अनुज्ञापि रद्द किए जाने से पूर्व अनुज्ञापि प्राप्त बंदरगाह यानों के स्वामी को सुने जाने का व्यक्तिगत अवसर देगा।
- (3) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा यानों की अनुज्ञापि रद्द किए जाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा और उन्हें ऐसे यानों के मालिक को सूचित किया जाएगा।
- (4) अनुज्ञापि प्राप्त बंदरगाह यानों की अनुज्ञापि रद्द करने के सभी मामलों में अनुज्ञापन अधिकारी उप-नियम (2) तथा उप-नियम (3) के अधीन प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

27. अनुज्ञापन अधिकारी के विनिश्चय पर अपील :

इन नियमों के अंतर्गत अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा लिए गए किसी भी विनिश्चय से संबंधित किसी विवाद/मामले पर पतन के अफयस को अपील होगी। ऐसी अपील अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय की लिखित सूचना सभी संबंधित पक्षों को दिए जाने की तारीख से सात दिनों के अंदर लिखित रूप में की जानी चाहिए।

28. फीस :

बंदरगाह यानों के सर्वेक्षण, रजिस्ट्रीकरण, अनुज्ञापन, निरीक्षण तथा सारंग या सुखानी या टिड्डाल के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फीस प्रभावी की जाएगी।

री गई सेवा	कैनी, रु, धोनी तथा कैटमैन को छोड़कर अन्य बंदरगाह यान
	(बंदरगाह यान नियम का भाग-2 देखें)
1. बंदरगाह यान नियमों द्वारा तथा अपेक्षित प्रत्येक सर्वेक्षण तथा मापन के लिए जहाँ यान को समुद्री यात्रा योग्य पाया गया जाल है	100.00 रु.
2. प्रत्येक निरीक्षण/सर्वेक्षण के अवसर पर बंदरगाह यान को समुद्री यात्रा के लिए अयोग्य पाया जाता है	40.00 रु.
3. बंदरगाह यान नियमों द्वारा विहित प्रत्येक अवसर पर रजिस्ट्रीकरण के लिए	40.00 रु.
4. बंदरगाह यान नियमों में विहित प्रत्येक अवसर पर रजिस्ट्रीकरण के लिए	40.00 रु.
5. बंदरगाह यान नियमों द्वारा विहित प्रत्येक अवसर पर अनुज्ञापि को प्रदान करना	40.00 रु.
6. बंदरगाह यान को समुद्री यात्रा योग्य पाए जाने पर प्रत्येक वार्षिक निरीक्षण के लिए	40.00 रु.
7. सारंग या सुखानी या टिड्डाल या चालक के परिवर्तन के पुष्टांकन के लिए	5.00 रु.
8. अनुज्ञापि या रजिस्टर में छोटे-मोटे संशोधनों के लिए	5.00 रु.

टिप्पण : अनुज्ञापि की दूसरी प्रतिलिपि दिए जाने के मामले में यदि अनुज्ञापन अधिकारी दूसरी प्रति देने के कारणों को उचित और पर्याप्त मानता है तो इन नियमों में विनिर्दिष्ट फीस की आधी फीस उद्घोषित होगी।

29. अनुज्ञप्ति मंजूरी से पहले ध्यान रखने योग्य बातें :

इन नियमों के तहत किसी बंदरगाह यान को अनुज्ञप्ति देने से पहले पत्तन के अनुज्ञापन अधिकारी उस समय पत्तन में रजिस्ट्रीकरण की संख्या और यान की आवश्यकता तथा पत्तन में उसके स्थान/सुविधा को ध्यान में रखेगा।

30. बंदरगाह यान द्वारा घाट का दखल :

(1) इन नियमों के अनुसार प्रत्येक बंदरगाह यानों को अनुज्ञप्ति दी गई है वे जब प्रचालन में नहीं होंगे तब उन्हें पत्तन में केबल उसी घाट पर खड़ा किया जाएगा जो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निर्धारित किया हो।

(2) जिन बंदरगाह यानों को अनुज्ञप्ति नहीं दी गई हो वे अनुज्ञापन अधिकारी की विशेष अनुमति के बिना पत्तन की सीमा के भीतर किसी घाट को दखल नहीं करेंगे।

भाग-2

कठिपय पत्तन यानों पर लागू होने वाले विशेष नियम

अध्याय-क

मछली पकड़ने वाली नौका अथवा कैटामैरन

31. मछली पकड़ने वाली नौका का अनुज्ञापन :

प्रत्येक नौका (जिसके अंतर्गत किरण पर चलाए जाने वाले कैटामैरन भी हैं), जो अनन्य रूप से मछली पकड़ने के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है, रजिस्ट्रीकृत होगी और ऐसी प्रत्येक नौका का स्वामी अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और किसी कैटामैरन से भिन्न प्रत्येक ऐसी नौका के पाल पर और उसके प्रत्येक ओर पर अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा उसे रजिस्ट्रीकरण के समय सम्बुद्धित सुख्या के साथ पत्तन के नाम अर्थात् जवाहरलााल नेहरू पत्तन के साथ अंकित करेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी नौका का उपयोग मछली पकड़ने के लिए नहीं करेगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रीकरण करके अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं कर ली जाती। कैटामैरन के भिन्न अन्य नौकाओं के मामलों में नौका का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उपर्युक्त वर्णित उसे दी गई सुख्या और पत्तन का नाम उपरोक्तानुसार अंकित नहीं कर दिया जाएगा।

32. मछली पकड़ने वाली नौकाओं या कैटामैरन को स्थोरा बंदरगाह यान के नजदीक या किसी जहाज या स्टीमर के पास से न जाना :

(1) जब कोई स्थोरा बंदरगाह यान किसी पोत तथा बोट के बीच चलाया जा रहा हो तब उसका सारंग या सुखानी या टिडाल या अन्य कोई प्रभारी या नौचालन करने वाला व्यक्ति किसी मछली पकड़ने वाली नाव या कैटामैरन को स्थोरा बंदरगाह यान से नौ मीटर (दस गज) भीतर से नहीं अरने देगा।

(2) जब स्थोरा की निकामी या नौचहन चल रहा हो तब किसी मछली पकड़ने वाली नौका या कैटामैरन का प्रभारी या उसका चालक उसे स्टीमर या पोत के बगल से नहीं चलानेगा।

(3) यदि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि यथास्थिति किसी सारंग या सुखानी या टिडाल, ने उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो उसके किसी भी रजिस्ट्रीकृत बंदरगाह यान पर किसी भी रूप में बलम करने पर पाबंदी लगाई जाएगी और यदि कोई स्वामी यथास्थित ऐसे सारंग या सुखानी या टिडाल, को दस पाबंदी का उल्लंघन करते हुए निर्मुक्त करता है तो उसे जारी की गई किसी या सभी अनुज्ञप्तियों प्रतिसंश्रित कर दी जाएगी।

(4) यदि अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा किसी भी यान को उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के उपबंध का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति प्रतिसंश्रित कर दी जाएगी।

अध्याय-ख

यांत्रिक शक्ति द्वारा भेदित जलयान

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए मोटर जलयान से चाप से चलने वाले जलयान से भिन्न ऐसे जलयान अभिप्रेत हैं जिन्हें पूर्णतः या आंशिक रूप से विद्युत या अन्य यांत्रिक शक्ति से चलाया जाता है।

33. मोटर जलयानों के अधिकारियों के लिए अर्हता :

प्रत्येक नौका जो विद्युत, तेल या पेट्रोल से चलने वाले इंजन से चलती है उसे किराए पर लिए जाने के बाद चाहें वह प्रयाजन में हो या नहीं, उस पर मास्टर या इंजीनियर के रूप में कार्य करने के लिए इस विषय में संगत नियमों के अनुसार सक्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त या निम्नलिखित अर्हताएँ रखने वाले व्यापारिक मास्टर और इंजीनियर होने चाहिए।

(1) मास्टर के मामले में

जलयान का प्रकार	अपेक्षित प्रमाणपत्र	अधिनियम जिसके अधीन प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए
इंजन की सहायता से चलने वाले 50 टन या उससे अधिक वजन के जलयान	प्रथम या द्वितीय वर्ग मास्टर	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
	या	
	मास्टर	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
यदि नौदक को लिए इंजन का उपयोग होता है तो 50 टन से कम वजन के जलयान	प्रथम या द्वितीय वर्ग मास्टर	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
	या	
	मास्टर	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
	या	
	सारेण	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

(2) इंजीनियर के मामले में

565 बी.एच.पी. या उससे अधिक के इंजन वाले जलयान चाहें उनका टनभार कुछ भी हो	मोटर इंजीनियर	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
	या	
	समुद्रगामी मोटर जहाज के प्रथम या द्वितीय वर्ग के इंजीनियर	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
226 बी.एच.पी. या अधिक किन्तु 565 बी.एच.पी. से कम इंजन वाले जलयान चाहें उनका टनभार कुछ भी हो	मोटर इंजीनियर	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
	या	
	समुद्रगामी मोटर पोत के प्रथम या द्वितीय वर्ग के इंजीनियर	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
	या	
	प्रथम श्रेणी का मोटर इंजन चालक	अंतर्राष्ट्रीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

टिप्पण :

430

- (i) ऐसा जलयान जिस पर कुल 20 बीएचपी से कम का इंजन हो और जिसका नोंदित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे जलयान पर जब भी इंजन का उपयोग किया जाता हो तो ऐसा कोई व्यक्ति चालक के रूप में नियुक्त होना चाहिए जो अनुज्ञापन अधिकारी हो इस बारे में समाधान करेगा कि वह इंजन का भार साधन में सक्षम है।
- (ii) 40 बीएचपी अतिरिक्त तक के मोटर जलयान पर ऐसा व्यक्ति इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जाएगा जिसके पास केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के सहित अनुमति-पत्र होगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे।
- (iii) 20 बीएचपी अतिरिक्त तक का मोटर जलयान जिसकी लम्बाई गलही (स्टेम) के एक छोर से दुबाल (स्टर्न) के अधिचरी छोर तक अधिकतम 9 मीटर होगी, उस पर एक ही ऐसे व्यक्ति को मास्टर और इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि उसके पास 50 टर्न से कम भार के जलयान, जिसके इंजनों को उपयोग प्रणोदन के लिए किया जाता है, के मास्टर का आवश्यक प्रमाणपत्र हो और इंजीनियर के मामले में 226 बीएचपी से कम क्षमता वाले इंजन, चाहे उसका टनभार कुछ भी हो, के इंजीनियर के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र हो।
- (iv) ऐसा अंतर्देशीय जलयान जिसका इंजन 20 बीएचपी से अतिरिक्त न हो और जिसकी पूर्वाका विधि से नहीं गई लम्बाई 9 मीटर से अधिक न हो और जिसका उपयोग स्वामी या उसके कर्तुव्य या मित्रों द्वारा केवल व्यक्तिगत मनोरंजन के लिये किया जाना हो उसे मास्टर या इंजीनियर के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु ऐसे जलयान को उसके स्वामी या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जाएगा।

34. मोटर जलयानों के सर्वेक्षण के लिए फीस :

ऐसा कोई जलयान जिसका वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) या अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन जलयान के स्वामी या मास्टर के पास सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र न हो, उसके सर्वेक्षण के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ 100 रु. की फीस देनी होगी।

35. मोटर जलयान पर अग्निशामक साधन :

प्रत्येक मोटर जलयान पर एक बालू का बक्सा और आग बुझाने के लिए उपयुक्त क्षमता का अनुमोदित पेटेंट वाला अग्निशामक उपलब्ध होगा तथा उक्त जलयान के स्वामी को उसे तैलीय अर्पशिष्ट से दूर रखना होगा।

अध्याय-ग

अनुज्ञापन अधिकारी, सर्वेक्षण अधिकारी और बंदरगाह यान का सर्वेक्षण

36. (1) अनुज्ञापन अधिकारी के कृत्य—वह पत्तन के उप-संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्राधिकार के अधीन सरकार द्वारा विरचित बंदरगाह यान नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें। इन नियमों में निर्दिष्ट अनुज्ञापन अधिकारी उप-संरक्षक ही हैं। बंदरगाह यान नियम 5 तथा नियम 13 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के बंदरगाह यान के लिए कर्मांदल की संख्या और उचित उपस्कर को निर्धारित करने की जिम्मेदारी उप-संरक्षक की होगी।
- (2) अनुज्ञापन अधिकारी सभी बंदरगाह यानों का मापन करेगा तथा सुरक्षित रूप से बहन किए जा सकने वाले माल की मात्रा और/या यात्रियों की संख्या के लिए उनके सही टनभार के बारे में स्वयं को समाधान करेगा।
- (3) बंदरगाह यान के स्वामी को उनके यान पर चिन्ह तथा संख्या दिखाने के लिए पहले से लागू नियमों के अनुपालन के साथ-साथ अनुज्ञापन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक यान का हुवाब इस प्रकार से दिखाना होगा जिससे उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके। उसके बाद अनुज्ञापन अधिकारी प्रत्येक बंदरगाह यान के दोनों ओर एक भार रेखा चिह्नित करेगा।
- (4) सामान्यतः, लादान रेखा इस प्रकार अंकित की जाएगी कि प्रत्येक जलयान फूट के लिए एक इंच का शीर्षान्तर (जलप्रवाह और वेग के बीच का अंतर) छोड़ा जाएगा; किन्तु इस नियम की आवश्यकता पड़ने पर अनुज्ञापन अधिकारी के

विदेकाधिकार से समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। सभी पत्तन बानों का मापन समुद्री तारीख 3 मई, 1899 के सरकारी आदेश सं. 384 के अनुसार किया जाएगा।

- (5) अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्रत्येक बंदरगाह बान में वहन किए जाने वाले यात्रियों की संख्या उस बान के टगभार के विरोध संदर्भ के बिना पर नहीं बल्कि उसमें वास्तविक बैठने की क्षमता के संदर्भ पर होगी।
- (6) अनुज्ञापन अधिकारी प्रत्येक बंदरगाह बान द्वारा वहन किए जाने वाले माल के टनों की संख्या धार रेखा के अंकित किए जाने के बाद निर्धारित करेगा।

टिप्पण : सारान रेखा को निर्धारित करने का कार्य प्रभावित उचित समय और अवसर पर किया जाएगा जिससे कि बान के स्वामी को असुविधा न हो या बंदरगाह बान के यातायात में बाधा न हो।

37. अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा बंदरगाह बान का सर्वेक्षण :

- (1) बंदरगाह बान के स्वामी/स्वामियों के आवेदन पर और उसके/उनके द्वारा बंदरगाह बान को इस प्रयोजन के लिए अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा निरिक्त स्थान पर लाए जाने पर बान के स्वामी/स्वामियों या इस प्रयोजन के लिए इनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में अनुज्ञापन अधिकारी उस बंदरगाह बान का सर्वेक्षण और मापन करेगा अथवा करवाएगा। बंदरगाह बान के यात्रा योग्य तथा सेवा के लिए उपयुक्त होने के बारे में संतुष्ट होने पर और उस बान के स्वामी/स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज देने पर जिसमें उसका/उनका नाम, व्यवसाय, निवास का पता लिखा हो और अनुज्ञापन अधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति की उपस्थिति में इस आशय का घोषणा पत्र देने पर कि उसने/उन्होंने इन नियमों को अच्छी तरह समझ लिया है, अनुज्ञापन अधिकारी बंदरगाह बान के स्वामी को माल और यात्री या माल या यात्री या पशुओं के वहन हेतु बान का उपयोग करने के लिए अनुज्ञापित करेगा।
- (2) प्रत्येक बंदरगाह बान की अनुज्ञापित में उसकी लम्बाई-चौड़ाई, उसका राज-सामान, उपस्कर, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे गए कार्मियों की संख्या और परिवहन के लिए अनुमत यात्रियों की संख्या तथा स्थोर की मात्रा अथवा उनका अनुमानित भार या संयुक्त भार दिखाया जाएगा; ऐसी प्रत्येक अनुज्ञापित में बंदरगाह बानों की संख्या और उनके स्वामी/स्वामियों के नाम, व्यवसाय, निवास का पता और उस बान के टिकाल का नाम तथा निवास का पता भी सम्मिलित होगा। बंदरगाह बान नियमों के परिशिष्ट "ख" में बताए प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में अनुज्ञापन अधिकारी प्रत्येक बान के टिकाल से संबंधित जानकारी लिखेगा।
- (3) भाप या मोटर से चलाने वाला प्रत्येक बान जिसके स्वामी या मास्टर के पास अंतर्देशीय जलयान अधिनियम (1917 का 1) अथवा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1959 (1958 का 44) के तहत सर्वेक्षण प्रमाणपत्र न हो तो उसे उपर्युक्त विधि अनुसार अनुज्ञापित प्राप्त होने से पूर्व उसका सर्वेक्षण अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसके पास समुद्री इंजीनियर के रूप में प्रथम श्रेणी का सक्षमता प्रमाणपत्र हो। अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस प्रकार से नियुक्त व्यक्ति उक्त बान के डौंचे और मशीनरी की स्थिति और उसके उचित अवस्था में रहने की अवधि के बारे में अनुज्ञापन अधिकारी को रिपोर्ट करेगा और अनुज्ञापन अधिकारी उक्त बान को तब तक अनुज्ञापित नहीं देगा जब तक सर्वेक्षण करने वाला इंजीनियर यह घोषित नहीं कर देता कि उस बंदरगाह बान का पूरा डौंचा तथा मशीनरी अपेक्षित सेवा के लिए पर्याप्त है तथा अच्छी स्थिति में है और जब तक उक्त बान को इस नियमों के अंतर्गत दी गई अनुज्ञापित यदि इन बंदरगाह बान नियमों के तहत रद्द नहीं कर दी जाती है तो यदि उसे ऐसी अवधि के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसकी अनुज्ञापित एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी, अन्यथा अनुज्ञापित उतनी ही अवधि के लिए दी जाएगी जितनी अवधि के लिए बंदरगाह बान का डौंचा और मशीनरी उपयुक्त प्रमाणित की जाती है। बंदरगाह बान नियम सं. 34 में बताया गया 100/- रु. शुल्क किसी ऐसे सर्वेक्षण से पूर्व बान के मालिक द्वारा अनुज्ञापन अधिकारी को अग्रिम रूप से देना होगा जो उसे सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति को दे देगा।
- (4) उप-संरक्षक द्वारा बंदरगाह बान के स्वामी अथवा टिकाल को दी जाने वाली सामान्य प्रकार की सूचना को उप-संरक्षक के कार्यालय में सूचना पट्ट पर तथा पत्तन के परिसर में दो मुख्य स्थानों पर लगाया जाएगा और ऐसे प्रकाशन को पर्याप्त सूचना माना जाएगा। ऐसी सूचना की ओर ध्यान न देने वाला स्वामी या टिकालों पर भारतीय पत्तन अधिनियम की धारा 54 में तथा उपबंधित अथवा की कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पण : पत्तन की उप-संरक्षक का ध्यान भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 54 के उपबंध की ओर आकर्षित किया जाता है जो निम्नलिखित हैं :

"54. सरकार के नियमों और आदेशों की अवज्ञा के लिए शक्ति-

यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे नियम या आदेश की अवज्ञा करता है जो सरकार ने इस अधिनियम के अनुसरण में बनाया है और जिस अवज्ञा के लिए इस अधिनियम में अन्य कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए जुमाने से जो एक सौ रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परिशिष्ट-क

(नियम 4, नियम 5 एवं नियम 6 देखें)

अनुज्ञापि

.....मी. लम्बाईमी. चौड़ाईमी. गहराई रजिस्ट्रीकृत टनभार वाले बंदरगाह यान के स्वामीकी अनुज्ञापि मंजूर की जाती है।

जवाहरलाल नेहरू पवन बंदरगाह यान नियम, 2007 निर्बन्धनों और अधिकतम शक्ति तथा इर्जाओं के अधीन (मदरस पत्तन से नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तक स्थोर (पशुओं के अलावा) और/या यात्रियों या पशुओं का चहन करने के लिए।

बिना यात्रियों के स्थोर

रजिस्ट्रीकरण की तारीख	बंदरगाह यान का नाम, संख्या एवं विवरण	साज सामान एवं उपकरण	निर्माण की तारीख और स्थान	पिछली घरम्मत की तारीख एवं तात्कालिक स्थिति	पशुओं की संख्या एवं अनुमानित भार	पशुओं को छोड़कर स्थोर का भार	समनु-देशित निर्गुलक बोर्ड	स्थोर के अतिरिक्त यात्रियों की संख्या	कर्मचारी की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					अच्छे मौसम में	अच्छे मौसम में		अच्छे मौसम में	अच्छे मौसम में टिंडाल, लसकर
					खराब मौसम में	खराब मौसम में		खराब मौसम में	खराब मौसम में टिंडाल, लसकर
			तारीख	200		तारीख	200		
						31-12-2010 तक विस्तारित उपर्युक्त उपर्युक्त			

टिप्पण : 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे एक व्यक्ति

बंदरगाह यान के स्वामी/स्वामियों से संबंधित विवरण	बंदरगाह यान के टिंडाल से संबंधित विशिष्टियां	अनुज्ञापि के प्रवृत्त रहने की अवधि	टिप्पणियां			
नाम	व्यवसाय	निवास का पता/स्थान	नाम	निवास का स्थान	16	17
11	12	13	14	15	16	17

टिंडालके परिवर्तन के लिए पृष्ठांकन

अनुज्ञापन अधिकारी

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2007

G.S.R. 269(E).—The following draft of the Jawaharlal Nehru Port (Harbour Craft) Rules, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by clause (k) of Sub-section (1) of Section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) is published as required by Sub-section (2) of the said Section, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title, commencement and application.**—(1) These rules may be called the Jawaharlal Nehru Port (Harbour Craft) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Jawaharlal Nehru Port.

2. **Savings.**—Nothing contained in these rules shall apply to any vessel coming from any system of Inland Navigation into the Jawaharlal Nehru Port.

3. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Chairman" means the Chairman of the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port and includes the person appointed to act in his place under the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "fair season" means the period from the 1st September to the 25th May;

(c) "foul season" means the period from 26th May to the 31st August;

(d) "harbour craft" means any catamaran plying for hire or any flat or cargo, passenger or other boat plying whether for hire or not and whether power driven or not, and whether plying regularly or only occasionally, in or partly within and partly without, the Port;

(e) "Licensing Officer" means the Deputy Conservator of the Jawaharlal Nehru Port;

(f) "Port" means the Jawaharlal Nehru Port, limits of which have been notified in the Government of India, in the Ministry of Shipping and Transport, vide number G.S.R. 429(E), dated the 28th May, 1982;

(g) "Syraing" or "Sukhany" or "tindal" includes any person in charge of a harbour craft holding a valid Certificate of Competency issued by Maharashtra Maritime Board;

4. **Harbour Craft, not to ply without a licence.**—(1) (a) No person shall, whether as owner or as servant, use any harbour craft to carry goods or passengers to or from any vessel at the Port or from place to place within the limits of the Port unless such person holds a licence in the Form specified in Appendix "A" (hereinafter referred to as the Form) granted by the Licensing Officer and unless the harbour craft so used has been registered under these rules.

(b) For purpose of registration the owner of a harbour craft shall cause it to be brought to such place as the Licensing Officer may appoint.

(c) The owner of any new craft to be registered or licensed under these rules shall obtain a "No Objection Certificate" from the Customs authority before the harbour craft is registered or licensed.

(2) Nothing in this rule shall apply,

(i) to crafts forming part of the equipment of a ship or steamer; or

(ii) to harbour craft maintained solely for purposes of pleasure; and

(iii) crafts in the service of Government or the Port.

5. **Survey and measurement of harbour craft and issue of licence.**—(1) Upon the application of the owner or owners of a harbour craft and upon such harbour craft being brought by him or them to such place as the Licensing Officer shall appoint for that purpose, the Licensing Officer shall survey and measure such harbour craft, or cause it to be surveyed and measured, in the presence of the owner or owners thereof or of any other person duly appointed for that purpose by such owner or owners and shall satisfy himself as to the correct tonnage, as to the quantity of cargo and number of passengers it may be allowed to carry with due regard to safety.

(2) In addition to complying with the rules already in force for marking and numbering their harbour craft, the owners of the harbour craft shall be required to mark draught of each of their harbour craft in such manner as the Licensing Officer may direct so as to be clearly visible.

(3) (i) the Licensing Officer shall then assign and mark a load line on each side of every harbour craft which shall determine its carrying capacity;

(ii) the load line requirements shall be as contained in the Form; and

(iii) the Licensing Officer may, on such conditions as he thinks fit exempt or permit deeper loading from the provisions contained in the Form on being satisfied that the special nature and conditions of the service and construction are such as to make it unreasonable or impracticable to apply such load lines.

(4) All harbour crafts shall be measured in accordance with the relevant rules relating to the measurement of craft framed by the Government from time to time.

(5) The number of passengers for being carried by each harbour craft shall be determined by the Licensing Officer with reference to the actual seating capacity in each harbour craft without special reference to her tonnage.

(6) On being satisfied that a harbour craft is seaworthy and fit for the intended service and on the owner or owners delivering to him a document signed by such owner or owners specifying his or their name or names occupation or respective occupations and place or respective places of residence, and subscribing to a declaration, in the presence of the Licensing Officer or of any person duly authorised by him, that he or they as the case may be fully understand these rules and officer shall grant a licence to such owner or owners to use the harbour craft for the purpose of carrying cargo and passengers or both.

(7) Every harbour craft, the owner or master of which does not hold a certificate of survey issued under the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or the Merchant Shipping Act, 1958 before being licensed as hereinbefore provided, shall be surveyed by an inspecting officer authorised by the Licensing Officer, holding certificate of competency as Foreign Going Master or First Class Engineer under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

(8) When the survey referred to in sub-rule (7) is completed, the inspecting officer shall submit a declaration of survey containing the following particulars, namely:—

- (a) that the hull and machinery of the harbour craft are in good condition and sufficient for the intended service;
- (b) that the equipment is in such a condition that the certificates of the syrang and Driver are such as are required under these rules or any other rules for the time being in force and applicable to the harbour craft;
- (c) the time (not exceeding one year) for which the hull machinery and equipment shall in the inspecting officer's opinion, be sufficient and fit for the harbour craft to ply;
- (d) the number of passengers which the harbour craft is, in the inspecting officer's opinion, fit to carry; the number being subject to such conditions and variations, according to the time of the year, the nature of the service, the cargo carried or other circumstances as the case required; and
- (e) any other relevant particulars.

Upon receipt of the declaration of survey, the Licensing Officer shall, if satisfied that the provisions of these rules have been complied with, issue a licence to ply the harbour craft for a period as recommended by the Inspecting Officer.

6. Registration of syrang or sukhany or tindal.— At the time of licensing to any harbour craft under rule 5, the name of its syrang or sukhany or tindal, as the case may be, as entered in the licence and other particulars relating to him shall be entered in a register which shall be kept by the Licensing Officer for the purpose as specified in Appendix "B".

7. Annual and special inspection of harbour craft and crew.— (1) Every owner of the harbour craft shall, within thirty days before the date of expiry of the licence submit an application for the inspection of the harbour craft and renewal of licence.

(2) Every owner of every registered harbour craft shall be required to produce it, together with its licence for inspection by Licensing Officer at such place and on such date as he may appoint for the purpose. In addition to such inspection, special or partial inspections may be held by the Licensing Officer or any person duly authorised by him, at such times as the Licensing Officer may consider necessary.

(3) At all inspections under this rule, the harbour craft shall have its full complement of crew and equipment and no person who is not holding a certificate as required by these rules, or who, in the opinion of the Licensing Officer, is unaccustomed to the use of the harbour craft or is inefficient shall be employed or registered as syrang or sukhany or tindal, as the case may be.

(4) The owners of all harbour craft licensed under these rules shall obtain a "No Objection" Certificate from the customs authority for renewal of license.

8. Repairs of harbour craft ordered for inspection.—(1) The owner of every registered harbour craft shall execute such repairs thereto as the Licensing Officer may direct in order to render it safe and efficient, and no owner or other person shall use any such harbour craft or cause or permit it to be used until such repairs have been duly executed and the Licensing Officer has granted permission for its use.

(2) For the purpose of such repairs, the owner shall cause the harbour craft to be hauled up only to such place or places as the Licensing Officer may from time to time direct.

9. License to be produced on demand.—(1) The owner of every licensed harbour craft shall keep its license in the possession of the syrang or sukhany or tindal, as the case may be, who shall produce the license whenever called upon to do so by the licensing officer or by any person duly authorised by him in that behalf.

(2) A printed copy of these rules and any written directions issued by the Licensing Officer for carrying the same into effect shall also be furnished by the owner to the syrang or sukhany or tindal, as the case may be, who shall, on demand, show it to any consignee or passenger of such harbour craft.

(3) The owner shall be responsible for ensuring that syrang or sukhany or tindal, as the case may be, understands the said rules and directions, shall obtain a declaration from him to that effect and shall produce such declaration whenever required by the Licensing Officer.

10. Distinctive numbering of harbour craft.—(1) Every owner of a licensed harbour craft shall paint or cause to be painted upon a dark background in white or yellow or a light background in block letters in Arabic figures not less than 6 inches in length, on a conspicuous part of the bow of such harbour craft on each side and of the quarter on the others the number and tonnage of the harbour craft as mentioned in the license.

(2) No person shall paint or cause to be painted upon any harbour craft, not duly registered, any such number as aforesaid or any other mark likely to induce the belief that such harbour craft has been registered.

11. Minor or female owners.—If the owner of a harbour craft is a minor, the license may be obtained by the guardian of the minor. If the owner is a woman, who according to the custom of the country does not appear in public, the license may be obtained on her behalf by her authorised agent.

Explanation.—For the purposes of these rules the guardian or the agent shall be deemed to be the owner of the harbour craft.

12. Change of ownership or control of harbour craft.—(1) No registered harbour craft—

(i) Which has changed ownership, shall ply without a fresh license being obtained;

or

(ii) Which has been mortgaged by the owner or otherwise passed from his control, shall ply without either a fresh license being obtained or the original license being endorsed by the Licensing Officer.

(2) Such change of ownership or control shall be effected within six days after such transfer or transaction.

13. Changes in crew or carrying capacity of harbour craft to be reported.—(1) Whenever the syrang or sukhany or tindal, of any licensed harbour craft is changed or any alteration in such craft is made so as to affect any of the particulars contained in the license granted for it, such change or alteration shall be reported forthwith by its owner to the Licensing Officer.

(2) In case of any change of syrang or sukhany or tindal or of any alteration in the harbour craft not affecting its carrying capacity, the harbour craft shall not ply until such report is made and in case of change of syrang or sukhany or tindal until the new syrang or sukhany or tindal, as the case may be, has also been produced before the Licensing Officer.

(3) On such report the Licensing Officer shall amend the original license held by the owner and in case of change of syrang or sukhany or tindal, as the case may be, also amend the register kept under rule 6.

(4) Whenever there is change of tindal or any other crew, the owners of the craft concerned shall obtain a "No Objection" Certificate from Customs authority before their names are registered for employment in these boats.

(5) In cases of any alteration in the harbour craft affecting its carrying capacity, the original license held by the owner shall be cancelled and a fresh license issued by the Licensing Officer after the harbour craft has been re-measured and the harbour craft shall not ply until such fresh license has been issued :

Provided that if any harbour craft was away from the Port at the time when such change or alteration takes place, the owner shall report the same to the Licensing Officer immediately on its return to the Port.

14. **Harbour craft to ply with complement of crew and syrang or sukhany or tindal, as the case may be, responsible for proper working of harbour craft.**—The owner of every licensed harbour craft shall provide it with such full complement of crew and with such equipment as may be determined by the Licensing Officer and entered in the license.

(2) The syrang or sukhany or tindal, as the case may be, of the harbour craft shall not have on board more or less than the number of crew specified in the license for fair season or foul season. Accordingly, as the harbour craft plies in fine or rough weather and shall not carry passengers or goods in excess of the number or quantity entered in the license of the harbour craft.

(3) The owner shall be responsible for the cargo loaded in his craft and shall deliver in full to the owner of the cargo of his authorised agent (who has hired the craft) at the time of unloading cargo from the licensed craft.

(4) The owner of the licensed harbour craft shall also meet any possible claim for the value of the goods that have been loaded in the licensed harbour craft and which have sustained loss or damage, if any, in full or in part unless such loss or damage sustained by the cargo loaded in the licensed harbour craft is proved to be beyond all reasonable limits and controls of the syrang or sukhany or tindal, as the case may be, who have manned the said harbour craft.

15. **Traffic not to be obstructed.**—No syrang or sukhany or tindal or member of the crew serving in any licensed harbour craft shall, without reasonable excuse, obstruct or hinder the loading discharging or service of such harbour craft or any other harbour craft or obstruct or hinder other vessels working in the Port or the traffic of vessels in the Port generally.

16. **Harbour craft not to obstruct vessels and boats.**—All harbour crafts shall keep out of the way and shall not obstruct or hinder the movements—

- (a) of vessels maneuvering into or out of or within the Port; or
- (b) of boats employed in passing lines to the buoys or quays.

17. **Refusal to ply without lawful excuse.**—(1) If the owner or the syrang or sukhany or tindal, as the case may be, in charge of a licensed harbour craft plying regularly for hire, without reasonable excuse, refuses to allow such craft to ply for hire when required to do so, the license of such harbour craft shall be liable to be revoked by the Licensing Officer.

(2) If the harbour craft is found to be used for smuggling or any other illegal or unlawful activities, the license shall be cancelled.

(3) The revocation or cancellation of a license or licenses shall be subject to the provisions contained in rule 26.

18. **Working of the harbour craft in bad weather.**—No licensed harbour craft shall ply,—

- (a) without the special permission of the Licensing Officer, when the signals indicating bad weather are displayed from the signal station flag-staff.
- (b) When the great danger signal is hoisted all small and lighter crafts shall at once go into sheltered area for safety.

19. **Permissible load of harbour craft.**—(1) No person shall load a licensed harbour craft with passenger or other cargo in contravention of the terms of its license.

(2) Passengers and cargo may be carried at the same time only in a licensed harbour craft propelled by mechanical power.

20. **Power of owner or syrang or sukhany or tindal to prevent overloading.**—Whenever the number of passenger or the quantity of cargo in a licensed harbour craft exceeds the number or the quantity entered in the license, the owner, or in the absence of the owner, the syrang or sukhany or tindal, as the case may be, before starting from the vessel or from the shore require the passenger or passengers to leave the craft, who entered the craft after the capacity registered in the license has been reached or require any consignor, consignee or shipping or landing agent concerned to remove from the harbour craft the whole or any part of the cargo which was loaded after the craft has reached its registered capacity.

21. **Harbour craft not to interfere with moorings or with vessels before they anchor.**—No syrang or sukhany or tindal or other person in charge of or navigating any licensed harbour craft shall,—

- (a) attempt to make such harbour craft fast to any mooring buoy or quay in such a manner as to obstruct the use of such mooring buoy or quay by sea going vessels; or
- (b) take it alongside a sea going vessel approaching an anchorage or mooring berth before such vessel has come to anchor or been secured in her berth.

22. **Landing and shipping of passengers and goods to be within Port limits.**—(1) All passengers and all goods shall be landed or shipped in such places within the limits of the Port as the Chairman may appoint and no person shall land or ship passengers or goods outside such limits unless the sanction of the Licensing Officer and the Customs Officer at the Port has been previously obtained.

(2) If the owner or syrang or sukhany or tindal of any licensed harbour craft is convicted by a Magistrate for landing or shipping passengers or goods in contravention of Sub-rule (1), the license of the harbour crafts shall be liable to be revoked by the Licensing Officer.

23. **Harbour craft to keep clear of vessel's gangways.**—(1) No harbour craft shall be alongside any vessel within the Port longer than is necessary to embark or disembark its passengers and luggage.

(2) Every harbour craft not engaged in embarking or disembarking passengers or luggage from a vessel shall lie off at a distance of not less than 6 meters from the side of such vessel so as to leave a clear passage to and from the gangway, and no harbour craft shall come to or approach a vessel's gangway contrary to the orders given by the police or a responsible officer on board the vessel that is being approached.

24. **Harbour craft to approach or leave vessel's gangway by turns.**—All harbour crafts waiting to approach or go alongside a vessel on its arrival shall keep well clear of the gangway so as to lie approximately parallel to each other and to the vessel concerned.

(2) All harbour craft shall take their turn in coming to and leaving the gangway of each vessel approached and shall obey all orders given by the police officer or a responsible officer on board that vessel.

25. **Rates of hire.**—(1) No owner of any harbour craft licensed to ply for hire and no person deputed by any owner of such harbour craft to carry any cargo or passengers for hire shall demand a rate of hire exceeding that sanctioned by the Central Government for the carriage of any such cargo or passengers.

(2) No owner and no syrang or sukhany or tindal or member of the crew of such harbour craft shall demand or accept any gratuity or present from passengers therein during the course of its trip between ship and shore or from place to place whether within or outside the Port limits.

26. **Revocation of license.**—The Licensing Officer may revoke the license or licenses held in respect of any or all of the harbour crafts owned by a person, if such person has been contravened any of the provisions of these rules.

(2) The owner of the licensed harbour craft shall be given reasonable opportunity of being heard before his license is cancelled by the Licensing Officer.

(3) The reasons for cancellation shall be recorded in writing and communicated to such owner by the Licensing Officer.

(4) The procedure under Sub-rules (2) and (3) shall be followed by the Licensing Officer in all cases of revocation of licenses of the licensed harbour craft.

27. **Appeal from Licensing Officer's decision.**—An appeal shall lie from any of the decision of the Licensing Officer under these rules, to the Chairman of the Port. Such appeal shall be preferred in writing within seven days from the date on which the decision of the Licensing Officer has been communicated in writing to the parties concerned.

28. **Fees.**—The following fees shall be levied for the survey, registration, licensing, inspection and endorsing change of syrang or sukhany or tindal of harbour craft:

Service rendered	Harbour craft other than canoes, shoe dhonies and calamarans (refer Part II of Harbour Craft Rules)
1. For each survey and measurement as required by the Harbour craft rules where the harbour craft is found Sea-worthy	Rs. 100.00
2. On each occasion of a harbour craft being found un-seaworthy on being inspected or surveyed	Rs. 40.00
3. For registration on each of the occasions prescribed by the harbour craft rules	Rs. 40.00
4. For registration on each of the occasions prescribed by the harbour craft rules	Rs. 40.00
5. For granting a license on each of the occasions prescribed by the harbour craft rules	Rs. 40.00
6. For each annual inspection where the harbour craft is found seaworthy	Rs. 40.00
7. For endorsing change of syrang or sukhany or tindal or driver	Rs. 40.00
8. For minor amendments of License or Register	Rs. 5.00

Note: Half of the fees specified by this rule shall be levied for the grant of duplicate license when it has been proved to the satisfaction of the Licensing Officer that there is good and sufficient reason of such grant.

29. **Matters to be taken into consideration before granting license.**—Before granting a license to any harbour craft under these rules, the Licensing Officer of the Port shall have regard to the number of harbour craft registered in the Port at the time and to the needs of and the accommodation in the Port.

30. **Berth to be occupied by harbour craft.**—(1) Every harbour craft which has been licensed in accordance with these rules shall, when not plying occupy only such berth within the limits of the Port as may be assigned to it by the Licensing Officer.

(2) Unlicensed harbour craft shall not occupy a berth within the limits of the Port without the special permission of the Licensing Officer.

PART—II

SPECIAL RULES APPLICABLE TO CERTAIN HARBOUR CRAFT

CHAPTER A

Fishing boats or Catamarans

31. **Licensing of fishing boats.**—Every boat (including a catamaran plying for hire), not exclusively used for fishing, shall be registered and the owner of every such boat shall obtain a license and every such boat other than a catamaran, shall carry on one of its sails and on each of its sides a number to be assigned to it by the Licensing Officer at the time of registration together with the name of the Port, namely, Jawaharlal Nehru Port and no person shall use any such boat for the purpose of fishing until it has been registered and a license obtained for it and in the case of a boat other than a catamaran, until a number and the name of the Port have also been placed upon it as described above.

32. **Fishing boats or catamarans not to go near a cargo harbour craft or alongside a ship or steamer.**—(1) No syrang or sukhany or tindal or other person in charge of or navigating a registered cargo harbour craft shall allow a fishing boat or a catamaran to be within 9 meters (ten yards) of her when such cargo harbour craft is plying between the ship and shore.

(2) No person in charge of or navigating a fishing boat nor a catamaran shall allow it to go alongside a steamer or ship while discharge or shipping of cargo is proceeding.

(3) Any syrang or sukhany or tindal, as the case may be, who is found by the Licensing Officer to have contravened the provision of Sub-rule (1) or Sub-rule (2) may be prohibited from further employment in any capacity on any registered harbour craft, and if any owner employs such syrang or sukhany or tindal, as the case may be, in contravention of such prohibition, all or any of the licenses issued to him may be revoked.

(4) The license of any boat which is found by the Licensing Officer to have contravened the provision of Sub-rule (1) or Sub-rule (2) shall be liable to be revoked.

CHAPTER B

Vessels propelled by a Mechanical power

Explanation.—For the purposes of this Chapter "motor vessel" means a vessel, other than a steam vessel, propelled wholly or in part by the electricity or other mechanical power.

33. **Qualifications of officers on motor vessels.**—Every boat having on board any engine driven by electricity, oil or petrol shall, when in use whether plying for hire or not, have on board a Master as well as an Engineer possessing certificates of competency to act as Master or Engineer, as the case may be of such a boat granted in accordance with the relevant rules, in this behalf or being certified officers possessing the qualifications specified below :

Type of Vessel	Certificate required	Act under which certificate must be held
1	2	3
I IN THE CASE OF MASTER		
Vessels of 50 tonnes burden or more if engines are used for propulsion	First or Second Class Class Master	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
	OR	
Vessels of less than 50 Tonnes burden, if engines are used for propulsion	Master	Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)
	First or Second Class Master	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
	OR	
	Master ...	Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)
	OR	
	Syrang ...	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

1	2	3
II. IN THE CASE OF ENGINEER		
Vessels having engines of 565 b.h.p. or more irrespective of tonnage	Motor Engineer	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
	OR	
	First or Second class Engineer of Sea-going Motor ship	Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)
Vessels having engines of 226 b.h.p. or more but of less than 565 b.h.p. irrespective of tonnage	Motor Engineer	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)
	OR	
	First or Second Class Engineer or Sea-going motor ship	Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958)
	OR	
	First Class Motor Engine Driver	Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

Note:

- (i) A vessel carrying engines of a total of less than 20 b.h.p. which can not be used to propel the vessel shall have on board as driver, whenever the engines are used, a person who has satisfied the Licensing Officer, that he is competent to be in charge of the engines;
- (ii) A motor vessel of not more than 40 b.h.p. may have as an Engineer a person holding a permit granted by the Central Government under such conditions as they may specify.
- (iii) A motor vessel of not more than 20 b.h.p. the length of which measured from the fore part of the stem to the after part of the steam post does not exceed 9 meters may have as her Master and Engineer a person possessing both the certificates required in the case of Master of a motor vessel of less than 50 tons burden whose engines are used for propulsion and the certificate required in the case of an Engineer of a motor vessel having engines of less than 226 b.h.p. irrespective of tonnage.
- (iv) An inland motor vessel of not more than 20 b.h.p. the length of which measure as aforesaid does not exceed 9 meters, which is used exclusively for personal recreation by the owner or his family or friends need not carry a certificate of Master or Engineer but may be navigated by the owner or any other person in-charge of such vessel possessing a permit granted by the Central Government or by any person duly authorised by the Central Government in this behalf.

34. **Fee for survey of a motor vessel.**—Every application made to the Licensing Officer for a motor vessel in respect of which a certificate or survey under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), or the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917), is not held by the owner or master shall be accompanied by a fee of Rs. 100/- for surveying the vessel.

35. **Fire extinguishing appliances on motor vessels.**—Every motor vessel shall be provided with a sand box and an approved patent fire extinguisher of suitable capacity for extinguishing fire and the owner of such vessel shall keep it free from oil refuse.

CHAPTER C**Licensing Officer, Survey Officer and Survey of Harbour Craft**

36. **Functions of Licensing Officer.**—(1) It will be the duty of the Deputy Conservator of the Port to see that the harbour craft rules framed by the Government under the authority of Sub-section (1) of Section 6 of the Indian Port Act, 1908 (15 of 1908) are complied with. The Deputy Conservator is the Licensing Officer referred to in the following rules. It rests with him vide harbour craft Rule 5 and 13 to prescribe the proper complement of crew and the proper equipment for each class of harbour craft.

(2) The Licensing Officer will measure all harbour craft and will satisfy himself as to their correct tonnage and as to the quantity of cargo and or number of passengers that they are permitted to carry.

(3) In addition to complying with the rules already in force for marking and numbering their harbour craft, harbour craft owners will be required to mark the draft of each harbour craft in such manner as the Licensing Officer shall direct, so as to be clearly visible. The Licensing Officer will then mark a load line on each side of every harbour craft.

(4) The load line, ordinarily, will be so placed as to allow one inch of free board to each foot submerged; but his rule will be subject to modification from time to time as occasion arises, at the Licensing Officer's discretion. All harbour craft will be measured in accordance with G.O. 384, Marine dated 3rd May, 1899.

(5) The number of passengers each harbour craft may carry will be determined by the Licensing Officer, with reference to the actual seating capacity in each harbour craft without special reference to her tonnage.

(6) The number of tons of cargo each harbour craft shall be allowed to carry will be determined by the Licensing Officer after the load line shall have been affixed.

Note: The fixing of the load line will have to be done gradually as time and opportunity offer, so as not to inconvenience owners of harbour craft or to impede the harbour craft traffic of the harbour.

37. Survey of harbour craft by Licensing Officer.—(1) Upon the application of the owner or owners of a harbour craft and upon such harbour craft being brought by him or them to such place as the Licensing Officer shall appoint for that purpose, the Licensing Officer shall survey and measure such harbour craft, or cause it to be surveyed and measured, in the presence of the owner or owners thereof or of any other person duly appointed for that purpose by such owner or owners. On being satisfied that a harbour craft is seaworthy and fit for the service of the Port, and on the owner or owners delivering to him a document signed by such owner or owners specifying his/her or their name or names, occupation or respective occupations and place or respective places of residence and subscribing to a declaration, in the presence of the Licensing Officer or of any person duly authorised by him, that he or they fully understand these rules, the Licensing Officer will grant a license to such owner or owners to use the harbour craft for the purpose of carrying goods and passengers or goods or passengers or animals.

(2) Every harbour craft license shall express the dimension of the harbour craft its rig, its equipment, the number of crew considered necessary by the Licensing Officer, the number of passengers and quantity of cargo, or the weight on an assumed basis or both combined, it is also to be permitted to carry. Every such license shall also contain a number for such harbour craft and the name or names, occupation or occupations, and place or places of residence of the owner or owners thereof, and the name and place of residence of the tindal of such harbour craft. Particulars relating to the tindal of each harbour craft shall be entered by the Licensing Officer in a register to be kept by him for that purpose vide Appendix B to the Harbour Craft Rules.

(3) Every harbour craft, being steam or motor driven, the owner or master of which does not hold a certificate of survey under Inland Vessel Act (Act I of 1917) or Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) before being licensed as hereinbefore provided, shall be surveyed by a person, to be selected for the purpose by the Licensing Officer, holding a first class certificate of competency as a marine engineer. The person so selected shall report to the Licensing Officer as to the condition of the hull and machinery of such harbour craft and the time for which her hull and machinery will probably be sufficient and the Licensing Officer shall not license any such harbour craft until her hull and machinery shall have been declared by the engineer so selected to be sufficient for the service intended and in good condition, and the license granted under these rules in respect of such harbour craft shall unless forfeited as provided for the Harbour Craft Rules, be in force for one year from the date of survey of the hull and machinery, if such harbour craft shall be reported to the Licensing Officer as sufficient for so long, otherwise such license shall be granted only for the time, for which the hull and machinery of such harbour craft shall be reported sufficient. The fee of Rs. 100 referred to in Harbour Craft Rule No. 34 to be paid in advance by the owner of any such harbour craft to the Licensing Officer before any such survey shall be made shall be paid by the Licensing Officer to the person making the survey on receipt of his report.

(4) Notice of a general nature by the Deputy Conservator to harbour craft owners or tindals will be published on the notice board at the Deputy Conservator's Office and in two prominent places within the Port Trust's premises and such publication will be considered sufficient notice. Owners or tindals disregarding such notices will be dealt with for disobedience as provided in Section 54 of Indian Ports Act, 1908.

Note: The attention of the Deputy Port Conservator is called to the provisions of Section 54 of the Indian Ports Act, 1908 which are as follows:—

"54. Penalty for disobedience to rules and orders of the Government.—If any person disobeys any rule or order which a Government has made in pursuance of this Act and for the punishment of disobedience to which express provision has not been made elsewhere in this Act, he shall be punishable for every such offence with fine which may extend to one hundred rupees."

APPENDIX—A

(See Rules 4, 5 and 6)

LICENCE

License granted to
Metre long Metre broad and Metre deep owner of harbour craft measuring
Registered tonnage

To carry cargo (other than animals) and/or passengers, or animals, to the extent specified below to and from the shipping at or off the Port of Madras under the restrictions and subject to the penalties laid down in the Jawaharlal Nehru Port (Harbour Craft) Rules, 2006, 2007

CARGO WITHOUT PASSENGERS

Date of Registry	Name, Number and description of harbour craft	Rig and equipment	When built and where	When repaired, last and in what condition	Number of animals and presumed weight	Weight of cargo other than animals	Assigned free board	Number of passengers without cargo	Number of crew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					In fine weather	In fine weather		In fine weather	In fine weather tidal Lascars
					In rough weather	In rough weather		In rough weather	In rough weather tidal, Lascars
		Dated		200		Extended to 31-12-2000	200		
						Do			
						Do			
						Do			
						Do			

Note : The children under 12 years of age=one adult.

Particulars respecting the owner or owners of the harbour craft			Particulars respecting the tindals of the harbour craft		Period for which license is to be in force	Remarks
Name or Names	Occupation	Place or Places of residence	Name	Place of residence		
11	12	13	14	15	16	17

Endorsement for change of tindal

